न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 201 / 2014

उनवान

1. नन्द लाल पुत्र जयलाल धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. किशन लाल पुत्र जयलाल धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. नन्दू बाई पुत्री जयलाल धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. बरदी बाई बेवा जयलाल धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. जमनी बाई पत्नि श्री लाल धाकड निवासी फतेहनगर, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. कालू पुत्र देवा धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. प्रभु पुत्र देवा धाकड निवासी बिजौलिया, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. भॅवरी बेवा देवा धाकड निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 19 / 2012 निर्णय दिनांक 15.1.2014

अभिभाषक : 1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थीगण – एक्स पार्टी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 31.10.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा में प्रार्थीया के स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजी नम्बर 457/3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा माल प्रथम स्थित है । उक्त भूमि पर आने जाने क लिए 12 फीट चोडा रास्ता नितान्त आवश्यक है जो कि ग्राम कल्याणपुरा की आराजी नम्बर 457/2 किस्म माल प्रथम जो कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी एवं आराजी नम्बर 457/1 किस्म माल प्रथम जो विपक्षी संख्या 5 लगायत 7 के खातेदारी की भूमि के मध्य स्थित है। जो ग्राम कल्याणपुरा से ग्राम लक्ष्मीनिवास जाने वाली गाडी गडार गैर मुमकिन रास्ता आराजी नम्बर 459/430 के सहारे दिशा में स्थित विपक्षीगण की आराजी नम्बर 457/2 व 457/1 के मध्य से दक्षिण दिशा में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 457/3 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर पहूॅचता है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते की हंकाई कर दी है तथा रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थी को खेत पर नहीं आने जाने देते है। वर्तमान में रास्ता अवरूद्ध करने से प्रार्थी फसल की बुवाई नहीं कर सका । पूर्व में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात एक ही खातेदार की थी जो जरिये विभाजन से अलग–अलग हुई तब से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से खातेदार करते आ रहे हैं। प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी नम्बर 457/2 एवं 457/1 के मध्य स्थिति चौडे रास्ते के बदले तय किया जाने वाला मुआवजा के भुगतान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की तत्समय अपीलार्थीगण को नहीं हो पाई थी। अधिवक्ता से दिनांक 23.9.2014 को जानकारी करने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तब अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं कर पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि रास्ते बाबत रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीया की कोई साक्ष्य नहीं ली गई एवं न ही अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपरीत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका निरीक्षण हेतु तहरीर जारी की गई थी जिन्होनें पटवारी हल्का को मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया । पटवारी हल्का ने बिना मौके पर आये एवं अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना ही दिनांक 19.7.2013 को रिपोर्ट तैयार कर दी । उस समय रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादिया भी उपस्थित नहीं थी। पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी अनुसार रिपोर्ट तैयार कर जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसका भी निस्तारण नहीं किया गया । मौजूदा वैकल्पिक रास्ता भी रेकार्ड में नहीं आ पाया । प्रत्यर्थी संख्या 1 फतहनगर रहती है जो कभी भी काश्त करने नहीं आई एवं न ही उसने रास्ते का उपयोग–उपभोग ही किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो खारिज योग्य है।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में रास्ते की भूमि की कीमत का भुंगतान राजकोष में जमा करने क आदेश दिये गये हैं। जबकि भुगतान अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को किये जाने के आदेश किये जाने चाहिये थे। अपीलार्थीगण की भूमि में से कभी रास्ता नहीं रहा है । इस तथ्य का अवलोकन नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण की वादग्रस्त आराजी नम्बर 457/2 एवं 457/1 में कभी कोई रास्ता नहीं था। प्रकरण में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो मौका पर्चा बनाया गया उस समय किसी पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी। पटवारी हल्का ने मौके पर नहीं आकर कार्यालय में बैठकर ही मौका रिपोर्ट बना दी जिसको आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

9. हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 457/3 पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 457/2 एवं 457/1 के मध्य 12 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 14 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । उक्त पर्चा मौका बनाते समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई हैं पर्चा मौका पर न तो किसी पक्षकार के हस्ताक्षर है एवं न ही किसी मौतबिर के हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का ने यह भी तथ्य अंकित नहीं किया है कि प्रार्थीया की आराजी पर आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. चूंकि मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया गया था। मौके पर किसी मौतबिर होने के तथ्य की भी पुष्टि नहीं होती है। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया के पास अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं इस तथ्य की पुष्टि भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट से नहीं होती है न ही अपीलाधीन आदेश में यह अंकन किया गया है कि किस आराजी में से कितना रास्ता दिया जा रहा है। भूमि की कीमत का भुंगतान भी खातेदारान को करने का आदेश न कर राजकोष मेंजमा कराने का आदेश दे दिया जा कि उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.1.2014 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पर्चा मौका बनाते समय उभयपक्ष की मौजदूगी सुनिश्चित कर यदि मौके पर किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी तत्सयम ही कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.12.17 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा